सत्यमेव जयते

भारतीय संसद
राज्य सभा

राज्य सभा के सदस्यों के लिये सामान्य जानकारी

2022

भारतीय संसद, राज्य सभा
PARLIAMENT OF INDIA, RAJYA SABHA

राज्य सभा सचिवालय
नई दिल्ली

सत्यमेव जयते

भारतीय संसद
राज्य सभा

राज्य सभा के सदस्यों के लिए सामान्य जानकारी

2022

राज्य सभा सचिवालय
नई दिल्ली

प्रस्तावना

इस पुस्तिका का उद्देश्य राज्य सभा के सदस्यों, विशेष तौर पर नव-निर्वाचित सदस्यों को, सामान्य जानकारी मुहैया कराना है। इस पुस्तिका में संविधान के तथा संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 के संगत उपबंध और उसके अधीन बनाए गए नियम तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अंतर्गत बनाए गए राज्य सभा (आस्तियों और देयताओं की घोषणा) नियम, 2004 तथा राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन विषयक नियमों के नियम 293 के अंतर्गत आर्थिक हितों की घोषणा अंतर्विष्ट है।

2. इस पुस्तिका में उपर्युक्त दस्तावेजों के संबंध में संक्षिप्त सूचना अंतर्विष्ट है। सदस्य विस्तृत जानकारी के लिए ऊपर उल्लिखित मूल दस्तावेजों का भी अवलोकन कर सकते हैं।

नई दिल्ली ;
11 **फरवरी**, 2022

पी.सी. मोदी,
महासचिव।

1. **पदावधि**

राज्य सभा के लिए निर्वाचित/नाम-निर्देशित सदस्य की पदावधि छह वर्ष है। तथापि, आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित/नाम-निर्देशित सदस्य अपने पूर्ववर्ती सदस्य की शेष पदावधि के लिए अपना पद धारण करता है। सदस्य की पदावधिः-

(i) नियमित रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित/नाम-निर्देशित सदस्य के मामले में उस तिथि से आरंभ होती है, जिस तिथि को विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग) द्वारा उसका नाम राजपत्र में अधिसूचित किया जाता है।

(ii) आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित/नाम-निर्देशित सदस्य के मामले में उस तिथि से आरंभ होती है, जिस तिथि को उसके निर्वाचन की घोषणा अथवा उसके नाम-निर्देशन की अधिसूचना को, जैसी भी स्थिति हो, राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है।

2. **आरंभिक औपचारिकताएं**

राज्य सभा के लिए निर्वाचित/नाम-निर्देशित होने के बाद, नव-निर्वाचित/नाम-निर्देशित सदस्य को पहले सूचना कार्यालय (कमरा सं. 26, संसद भवन, दूरभाषः 23034616, 23017205) से सम्पर्क करना अथवा वहां आना होता है जहां उन्हें कतिपय औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए कुछ प्रपत्र भरने होते हैं। इन प्रपत्रों को राज्य सभा की वेबसाइट (www.rajyasabhahindi.nic.in) से भी 'डाउनलोड-' 'संसदीय सूचना प्रपत्र', 'आवेदन पत्र', और 'नए सदस्यों के लिए प्रपत्र' लिंक के अधीन डाउनलोड किया जा सकता है।

3. सूचना कार्यालय

3.1 सूचना कार्यालय राज्य सभा के सदस्यों और राज्य सभा सचिवालय के बीच सम्पर्क माध्यम का काम करता है। यह सदस्यों के लिए स्वागत कार्यालय के रूप में और सदस्यों, राज्य सभा सचिवालय के विभिन्न अनुभागों/शाखाओं, अन्य सम्बद्ध एजेन्सियों और भारत सरकार के मंत्रालय/विभागों के बीच एक एकल खिड़की सम्पर्क-स्थल के रूप में भी कार्य करता है।

3.2 इस कार्यालय का मुख्य कार्य सभापीठ की अनुमति से उठाये जाने वाले मामलों (शून्य-काल के दौरान उठाए जाने वाले मामले), विशेष उल्लेखों, प्रश्नों, (तारांकित, अतारांकित और अल्प सूचना प्रश्न) ध्यानाकर्षण प्रस्तावों, अल्पकालिक चर्चाओं, आधे घंटे की चर्चाओं, प्रस्तावों, संकल्पों, नियम 267 के अधीन सूचनाओं (नियमों को स्थगित करने हेतु), विधेयकों में संशोधनों, गैर सरकारी सदस्यों के संकल्प के लिए बैलट, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में संशोधन आदि जैसी विभिन्न संसदीय युक्तियों के संबंध में सदस्यों से कागजी रूप में सूचना प्राप्त करना और सदस्यों द्वारा इस हेतु 'ई-नोटिस पोर्टल' पर किसी भी स्थान से ऑनलाइन जमा की गई ई-सूचनाएं प्राप्त करना और इन सूचनाओं को संबंधित अनुभागों को भेजना है। उपर्युक्त युक्तियों के लिए प्रपत्र सूचना कार्यालय में कागजी रूप में और राज्य सभा की वेबसाइट (http://rajyasabhahindi.nic.in) पर 'डाउनलोड'-'संसदीय सूचना प्रपत्र' लिंक के तहत मुद्रणीय प्रारूप में भी उपलब्ध है। यह कार्यालय दर्शक दीर्धा के पासों, विशिष्ट आगन्तुक-दीर्घा के पासों, केन्द्रीय कक्ष के पासों, सदस्यों के वैयक्तिक सहायक/निजी सचिवों के लिए बार-कोडेड पासों, पार्किंग लेबल, पूर्व संसद सदस्यों के पहचान पत्रों और पूर्व संसद

सदस्यों की पत्नी/पति के पहचान पत्रों के लिए आवेदन भी प्राप्त करता है और उन पर कार्रवाई करता है। ये प्रपत्र कागजी रूप में सूचना कार्यालय में और मुद्रणीय प्रारूप में राज्य सभा की वेबसाइट (http://rajyasabhahindi.nic.in) पर 'डाउनलोड'-'आवेदन प्रपत्र'-'नोटिस ऑफिस से संबंधित प्रपत्र' लिंक के तहत भी उपलब्ध हैं। इसके अलावा, सूचना कार्यालय द्वारा विविध पत्र/प्रपत्र, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते से संबंधित बिल, भारत सरकार के मंत्रियों को संबोधित पत्र और साथ ही सचिवालय में निपटान के लिए आशयित सदस्यों से अन्य पत्रादि भी प्राप्त किए जाते हैं और उन्हें संबंधित अनुभागों को भेजा जाता है।

4. **निर्वाचन प्रमाण-पत्र और प्रपत्र-III का सौंपा जाना**

4.1 सदस्य (निर्वाचित/नाम निर्देशित) को संविधान के अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ लेने अथवा प्रतिज्ञान करने और उस पर हस्ताक्षर करने तथा राज्य सभा में अपना स्थान ग्रहण करने से पहले महासचिव के समक्ष अपने निर्वाचन प्रमाणपत्र अथवा उसे एक सदस्य के रूप में नामनिर्देशित करने वाली अधिसूचना की एक प्रमाणित प्रति, जो भी स्थिति हो, प्रस्तुत करेंगे/करेंगी और साथ ही प्रपत्र-III में उनके/उनकी दलगत सम्बद्धता के संबंध में ब्यौरों और घोषणा का एक विवरण प्रस्तुत करेंगे/करेंगी जैसा कि राज्य सभा सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियम, 1985 के नियम 4 (2) में विहित किया गया है। ऊपर बताए गए निर्वाचन प्रमाणपत्र/नाम-निर्देशन से संबंधित अधिसूचना की प्रमाणित प्रति और प्रपत्र-III पटल कार्यालय (कमरा नं. 33, भूतल, संसद भवन, दूरभाष सं. 23034697 और 23034581) में प्रस्तुत किए जा सकते हैं।। प्रपत्र-III को राज्य सभा की वेबसाइट (http://rajyasabhahindi.nic.in) से 'डाउनलोड'-'नए सदस्यों के लिए प्रपत्र'-'पटल कार्यालय से

संबंधित प्रपत्र'-'प्रारूप-III' लिंक के तहत डाउनलोड किया जा सकता है।

4.2 सदस्य संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में से किसी भी एक भाषा अथवा अंग्रेजी में शपथ ले सकते/सकती हैं अथवा प्रतिज्ञान कर सकते/सकती हैं और उस पर हस्ताक्षर कर सकते/सकती हैं। सदस्य शपथ लेने अथवा प्रतिज्ञान करने और उस पर हस्ताक्षर करने हेतु जिस पसंदीदा भाषा के विकल्प का चयन करना चाहते/चाहती हैं उसकी सूचना पटल कार्यालय को प्रदान करें और शपथ/प्रतिज्ञान संबंधी प्रपत्र पटल कार्यालय से प्राप्त करें। सदस्य सभा/समितियों में आसन ग्रहण करने, कार्यवाही में भाग लेने और मतदान करने के तब तक हकदार नहीं होंगे जब तक उन्होंने शपथ लेकर/प्रतिज्ञान करके उस पर हस्ताक्षर न कर दिए हों।

4.3 नव-निर्वाचित/नाम-निर्देशित सदस्य के पास केवल संसदीय पत्रों में अपना नाम उल्लिखित करने संबंधी सीमित प्रयोजनों के लिए अपने नाम की शैली में परिवर्तन करने का विकल्प होता है, बशर्ते नाम की शैली में परिवर्तन करने संबंधी आवेदन के साथ, यदि नाम की शैली में परिवर्तन के कारण नाम की मौजूदा शैली में सारभूत परिवर्तन होता है तो, सरकारी प्रतिष्ठानों/विश्वविद्यालय इत्यादि द्वारा जारी किए गए सहायक दस्तावेज संलग्न हों। नाम की शैली में परिवर्तन करने के लिए, सदस्य को इस प्रयोजनार्थ विहित प्रपत्र को भरना होगा जो पटल कार्यालय (पता और दूरभाष ऊपर दिए गए हैं) में उपलब्ध है।

5. **ससंद भवन/संसदीय सौध/संसदीय सौध विस्तार भवन के महत्वपूर्ण स्थान**

संसद भवन परिसर में आने वाले नए सदस्य को विभिन्न कक्षों, मार्गों और गलियारों की जानकारी होनी चाहिए और उसे इनसे परिचित होना चाहिए। उसे विशेष रूप से निम्नलिखित स्थानों की जानकारी होनी चाहिएः-

संसद भवन

राज्य सभा कक्ष

लोक सभा कक्ष

सभापति का कक्ष (कमरा सं. 30)

उप-सभापति का कक्ष (कमरा सं. 32)

लोकसभाध्यक्ष का कक्ष (कमरा सं.17)

महासचिव, राज्य सभा का कक्ष (कमरा सं. 29)

महासचिव, लोक सभा का कक्ष (कमरा सं.18)

मंत्रियों के कक्ष

केन्द्रीय कक्ष

प्राथमिक चिकित्सा कक्ष (राज्य सभा कक्ष और केन्द्रीय कक्ष के मध्य स्थित)

लॉबी के टेलीफोन बूथ

सदस्यों हेतु सामान्य विश्राम कक्ष

दलों के कार्यालय

सदस्यों हेतु प्रतीक्षालय

समिति कक्ष

अल्पाहार कक्ष (कमरा सं. 70)

सूचना कार्यालय (कमरा सं. 26)

पटल कार्यालय (कमरा सं. 33)

विक्रय पटल

प्रकाशन पटल (कमरा सं. 26-क)

आशुलिपिक पूल (कमरा सं. 34-क)

डाक घर

रेलवे बुकिंग और आरक्षण कार्यालय

भारतीय स्टेट बैंक का वेतन कार्यालय

प्रेस कक्ष

*संसदीय ग्रंथालय

संसदीय सौध

बेसमेंट

चिकित्सा केन्द्र

डाकघर

दूर-संचार केन्द्र

---

* संसद भवन के पास संसदीय ग्रंथालय भवन में स्थित है।

भूतल

समिति कक्ष

भारतीय स्टेट बैंक

भोज कक्ष

सभागार

आयकर प्रकोष्ठ

द्वितीय तल

वेतन और लेखा कार्यालय (कमरा सं. 203)

संसद सदस्य सुविधा अनुभाग (कमरा सं. 227)

संसद सदस्य वेतन और भत्ता शाखा (कमरा सं. 228)

प्रश्न शाखा (कमरा सं. 229 और 233)

सूचना प्रौद्योगिकी अनुभाग (कमरा सं. 209)

तृतीय तल

सम्पर्क अधिकारी (न.दि.न.पा.प.) (कमरा सं. 314)

पंचम तल

सम्मेलन और नयाचार अनुभाग (कमरा सं. 527)

सम्पर्क अधिकारी (दूरभाष) (कमरा सं. 520)

छठा तल

आवास और किराया शाखा (कमरा सं. 602)

संसदीय सौध विस्तार भवन

ब्लॉक ए, प्रथम तल

समिति कक्ष

सभागार

भोज कक्ष

ब्लॉक बी

समिति अध्यक्षों के कक्ष

समिति अनुभाग

6. **सदस्यों द्वारा आस्तियों और देयताओं की घोषणा**

6.1 राज्य सभा सदस्य (आस्तियों तथा देयताओं की घोषणा) नियम, 2004 के नियम 3 के उप-नियम (1) के अंतर्गत राज्य सभा के प्रत्येक चुने गये सदस्य को सभा में अपनी सीट के लिए शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने और उस पर अपने हस्ताक्षर करने की तारीख से 90 दिनों के भीतर अपनी आस्तियों तथा देयताओं तथा अपनी पत्नी/पति और आश्रित बच्चों की आस्तियों के संबंध में घोषणा करनी होगी। नियम 3 के उप-नियम (2) के अनुसार प्रत्येक सदस्य उप-नियम (1) के अधीन अपने द्वारा प्रस्तुत की गई उपर्युक्त सूचना में प्रति वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार हुए परिवर्तन, यदि कोई हो, के बारे में उसी वर्ष की 30 जून तक सूचना देगा।

6.2 सदस्य द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी में भारत तथा विदेश में स्थित आस्तियां और देयताएं शामिल होनी चाहिए।

6.3 निर्धारित प्रपत्र की प्रतियां सूचना कार्यालय में उपलब्ध हैं तथा इन्हें राज्य सभा की वेबसाईट (http://rajyasabhahindi.nic.in) के लिंक 'सदस्य'-आस्तियों और देयताओं संबंधी उद्घोषणा- प्रपत्र-I'; 'डाउनलोड'-'संसदीय सूचना प्रपत्र'- 'आस्तियों और देयताओं संबंधी उद्घोषणा प्रपत्र -I'; और 'डाउनलोड'-'आवेदन प्रपत्र'-'आचार समिति से संबंधित प्रपत्र'-'आस्तियों और देयताओं संबंधी उद्घोषणा- प्रपत्र -I' से भी डाउनलोड किया जा सकता है।

7. **राज्य सभा के सदस्यों द्वारा हितों की घोषणा**

7.1 राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन विषयक नियमों के नियम 293 के अधीन राज्य सभा के सदस्यों को पांच आर्थिक हितों के संबंध में निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार घोषणा करनी होगी:-

आर्थिक हित

I. **लाभप्रद निदेशकत्व (रेम्यूनरेटिव डायरेक्टरशिप)**

(i) कंपनी का नाम और पता

(ii) कंपनी के कारोबार का स्वरूप

(iii) वेतन/शुल्क/भत्ते/लाभ अथवा कोई अन्य प्राप्तियां जो कर योग्य हों (प्रति वर्ष)

II. **नियमित लाभप्रद कार्यकलाप**

(i) प्रतिष्ठान का नाम तथा पता

(ii) कारोबार का स्वरूप

(iii) धारित पद

(iv) प्राप्त पारिश्रमिक की राशि (प्रति वर्ष)

III. **नियंत्रक प्रकृति की शेयरधारिता**

(i) कंपनी का नाम और पता

(ii) कंपनी के कारोबार का स्वरूप

(iii) धारित शेयरों का प्रतिशत

IV. **भुगतान आधारित परामर्श**

(i) परामर्श का स्वरूप

(ii) उस संगठन के व्यावसायिक क्रियाकलाप जहां परामर्शदाता के रूप में कार्यरत हैं

(iii) परामर्श से प्राप्त लाभ का कुल मूल्य

V. **वृत्तिक कार्य**

(i) विवरण

(ii) उससे अर्जित शुल्क/पारिश्रमिक (प्रति वर्ष)

7.2 प्रत्येक सदस्य अपने द्वारा दी गई सूचना में प्रति वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार हुए किसी प्रकार के परिवर्तन की सूचना उस तिथि से नब्बे दिन के अंदर देगा।

7.3 सदस्यों द्वारा दी गई जानकारी देश अथवा विदेश में धारित उसके आर्थिक हितों के संबंध में होनी चाहिए।

7.4 निर्धारित प्रपत्र की प्रतियां सूचना कार्यालय में उपलब्ध हैं और इन्हें राज्य सभा की वेबसाइट (http://rajyasabhahindi.nic.in) के लिंक 'डाउनलोड' - 'आवेदन प्रपत्र' - 'आचार समिति से संबंधित प्रपत्र' - ' राज्य सभा के सदस्यों द्वारा हितों की घोषणा के लिए प्रपत्र' तथा 'राज्य सभा' - 'डाउनलोड' - संसदीय सूचना प्रपत्र-'राज्य सभा

के सदस्यों द्वारा हितों की घोषणा के लिए प्रपत्र ' से भी डाउनलोड किया जा सकता है ।

8. सदस्यों की परिलब्धियां और सुविधाएं

8.1 सदस्य ऐसी कतिपय परिलब्धियों और सुविधाओं के हकदार हैं जो उन्हें संसद सदस्य के रूप में प्रभावी ढंग से कार्य करने हेतु समर्थ बनाने के लिए प्रदान की जाती हैं। मोटे तौर पर, सदस्यों को मुहैया कराई जाने वाली परिलब्धियां/सुविधाएं वेतन और भत्तों, यात्रा सुविधाओं, आवास, दूरभाष आदि से संबंधित है। ये सुविधाएं संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 और उसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा शासित होती हैं। इन सुविधाओं आदि का संक्षिप्त विवरण आगे के कुछ पैराग्राफों में दिया गया है।

8.2 वेतन और भत्ते

प्रत्येक सदस्य अपने कार्यकाल के दौरान प्रतिमाह 1,00,000/- रुपए वेतन तथा ड्यूटी पर रहते हुए निवास की अवधि के दौरान (संसद की सभा के सत्र में अथवा संसद की किसी समिति की बैठक में उपस्थित होने अथवा किसी अन्य संसदीय कार्य में भाग लेने के लिए) प्रतिदिन 2000/- रुपए की दर से दैनिक भत्ते का हकदार है जिसके लिए सचिवालय द्वारा इस प्रयोजनार्थ रखे गए रजिस्टर पर सभा के सत्र के सभी दिनों (बीच में आने वाली छुट्टियों को छोड़कर) सदस्य को हस्ताक्षर करने होंगे। बीच में आने वाली छुट्टियों के लिए सदस्य को दैनिक भत्ते (डी.ए.) की हकदारी हेतु छुट्टी के तत्काल पूर्व और पश्चात् वाले दिन उपस्थिति रजिस्टर में हस्ताक्षर करने होंगे। ड्यूटी पर रहते हुए निवास की अवधि सभा के सत्र से तत्काल पूर्व और पश्चात् 3 दिन तथा किसी समिति की बैठक से पूर्व और पश्चात्

2 दिन होगी। इसके अतिरिक्त, सदस्य संसद सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों से जुड़े किसी अन्य कार्य को पूरा करने के प्रयोजनार्थ भी दैनिक भत्ते का हकदार है।

8.3 **आवास**

8.3.1 सदस्यों की रिहायशी आवास की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सदस्यों हेतु पृथक रिहायशी पूल स्थापित किया गया है। इस पूल से सदस्यों के लिए आवासों का आवंटन राज्य सभा की आवास समिति द्वारा किया जाता है। आवास के लिए व्यवस्था आवास समिति द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार की जाती है। विस्तृत ब्यौरा संसद सदस्य सुख-सुविधा अनुभाग (कमरा सं. 227, संसदीय सौध, दूरभाष:23034227, 23034059) के पास उपलब्ध है। इस संबंध में प्रपत्र राज्य सभा की वेबसाइट (http://rajyasabhahindi.nic.in) से 'डाउनलोड'-'नए सदस्यों के लिए प्रपत्र'-'एम.ए. अनुभाग से संबंधित प्रपत्र' लिंक के अंतर्गत डाउनलोड किए जा सकते हैं।

8.3.2 नव-निर्वाचित/नाम-निर्देशित सदस्यों के मामले में सचिवालय संबंधित राज्य के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर उस राज्य के राज्य भवन/अतिथि गृह में उनके आवास की अस्थायी व्यवस्था भी करता है।

8.3.3 प्रत्येक सदस्य अपने कार्यकाल पर्यन्त लाइसेंस शुल्क मुक्त फ्लैट या हॉस्टल आवास का हकदार है। जहां किसी सदस्य को उनके अनुरोध पर राज्य सभा पूल से बंगले के रूप में रिहायशी आवास आवंटित किया जाता है, वहां सामान्य लाइसेंस शुल्क लिया जाता है।

8.3.4 प्रत्येक सदस्य उसे आवंटित आवास पर 1 जनवरी से शुरू होने वाले प्रत्येक वर्ष में बिना किसी प्रभार के भुगतान के

अधिकतम 50,000 यूनिट बिजली (बिजली/पावर मीटरों में से प्रत्येक से 25,000 यूनिट या इकट्ठे दोनों से) और 4000 कि.ली. जल की आपूर्ति का हकदार है। सदस्यों को प्रदत्त अन्य सुविधाओं में फर्नीचर की आपूर्ति पर किराए में 25 प्रतिशत की छूट दिया जाना शामिल है।

8.4 **टेलीफोन सुविधाएं**

8.4.1 राज्य सभा का सदस्य यथासंशोधित आवास और टेलीफोन सुविधाएं (संसद सदस्य) नियम, 1956 के अंतर्गत, मोबाइल फोन और लैंडलाइन टेलीफोन को मिलाकर 1,50,000 स्थानीय कॉल की सीमा तक फोन लगाने का प्रभार, मासिक किराया और कॉल प्रभार का भुगतान किए बिना दो मोबाइल फोन कनेक्शन तथा तीन लैंडलाइन टेलीफोन कनेक्शन रखने का हकदार है।

8.4.2 सदस्य उपर्युक्त में से राष्ट्रीय रोमिंग सुविधा के साथ महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) का एक मोबाइल फोन कनेक्शन तथा अपने निर्वाचन क्षेत्र में उपयोग हेतु राष्ट्रीय रोमिंग सुविधा के साथ महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड या भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) का एक अन्य मोबाइल फोन कनेक्शन प्राप्त करने का हकदार है।

8.4.3 सदस्य द्वारा अपनी अंतर्राष्ट्रीय दौरों के लिए अपने एमटीएनएल/बीएसएनएल मोबाइल कनेक्शन पर अंतर्राष्ट्रीय रोमिंग सुविधा का उपयोग किया जा सकता है, जिसे उस सदस्य से अग्रिम रूप से प्राप्त अनुरोध, जिसमे यात्रा की अवधि और गंतव्य देश का उल्लेख किया गया हो, के आधार पर सक्रिय किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय रोमिंग के दौरान की गयी कॉल

को 1,50,000 स्थानीय कॉल के निःशुल्क वार्षिक कोटे में समायोजित किया जाएगा।

8.4.4 सदस्य द्वारा एमटीएनएल का एक लैंडलाइन कनेक्शन दिल्ली स्थित अपने निवास स्थान/ कार्यालय पर; एमटीएनएल/बीएसएनएल का एक लैंडलाइन कनेक्शन उस राज्य में, जहां का वह प्रतिनिधित्व करता/करती है या जहां वह रहता/रहती है, अपने प्रायिक निवास स्थान या अपने किसी चयनित स्थान पर और एमटीएनएल/बीएसएनएल का ब्रॉडबैंड (इंटरनेट) सुविधा सहित एक अतिरिक्त लैंडलाइन कनेक्शन या तो दिल्ली या उस राज्य में, जहां का वह प्रतिनिधित्व करता/करती है या जहां वह रहता/रहती है, प्रयोग किया जा सकता है। सदस्य उसे उपलब्ध किसी भी एक टेलीफोन पर एम टी एन एल अथवा बी एस एन एल से इस ब्रॉडबैंड सुविधा का लाभ उठा सकता है/सकती है और वह इसके लिए 1500/- रुपये प्रतिमाह की अधिकतम सीमा तक किसी भी भुगतान का दायी नहीं होगा/होगी।

8.4.5 सदस्य द्वारा अपनी वार्षिक 1,50,000 स्थानीय कॉल का उपयोग करने के लिए कितनी भी संख्या में लैंडलाइन टेलीफोन उपकरणों का उपयोग किया जा सकता है बशर्ते सभी टेलीफोन सदस्य के नाम पर हो और अतिरिक्त टेलीफोन को लगाने और उनका किराया शुल्क सदस्य द्वारा स्वयं वहन किया जाए।

8.4.6 संसदीय समिति के अध्यक्ष को उनके दिल्ली/नई दिल्ली स्थित आवास पर लगे टेलीफोन से की गई कॉलों के लिए सभी प्रकार के भुगतान से छूट प्राप्त है।

8.4.7 निःशुल्क 1,50,000 कॉल के वार्षिक कोटे में से, सदस्य (प्रतिवर्ष) 10,000 कॉल का परित्याग किए जाने के एवज में

अपने किसी भी विद्यमान एमटीएनएल/बीएसएनएल लैंडलाइन कनेक्शन पर अतिरिक्त ब्रॉडवैंड सुविधा का लाभ भी उठा सकते हैं।

8.4.8 निःशुल्क 1,50,000 कॉल के वार्षिक कोटे में से बची सभी अनुपयुक्त कॉल अगले वर्ष के कोटे में जोड़ दिया जाएगा तथा सदस्य द्वारा अगले वर्ष में उनका उपयोग किया जा सकता है।

8.4.9 सदस्य दिल्ली स्थित अपने आवास में महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड से अधिकतम रुपये 2,200/-(दो हजार दो सौ रुपये) प्रति माह शुल्क सहित वाई-फाई सेवा के साथ फाइबर टू द होम (एफटीटीएच) पर हाई स्पीड ब्रॉडवैंड सुविधा का भी निःशुल्क लाभ उठा सकते हैं।

8.4.10 राज्य सभा की सूचना और संचार प्रौद्योगिकी प्रबंधन समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार सदस्य एमटीएनएल/बीएसएनएल द्वारा प्रदान की जा रही निम्नलिखित सेवाओं का भी लाभ ले सकते हैंः-

सेवा/योजना का नाम	**निर्धारित मासिक प्रभार** (**यथा प्रयोज्य अतिरिक्त कर**)	**सुविधाएं**
आई पैड असीमित डाटा उपयोग	९९९/- रुपए	केवल असीमित निःशुल्क डाटा

मिस्ड कॉल अलर्ट	निःशुल्क	जब प्रयोक्ता पहुंच के बाहर होता है/उसका नम्बर व्यस्त होता है/उत्तर नहीं दिया जाता है आदि के समय उसे मिस्ड कॉल के संबंध में एसएमएस अलर्ट प्राप्त होता है।

मूल्य वर्धित सेवाओं के प्रभारों को सदस्यों को उपलब्ध 1,50,000 निःशुल्क कॉलों में समायोजित किया जाएगा।

8.4.11 टेलीफोन और इंटरनेट सुविधा से संगत प्रपत्र संसद सदस्य सुविधा अनुभाग (227, संसदीय सौध) से प्राप्त किए जा सकते है अथवा राज्य सभा की वेबसाइट (http://rajyasabhahindi.nic.in) पर 'डाउनलोड'-'नए सदस्यों के लिए प्रपत्र'-'एम.ए.अनुभाग से संबंधित प्रपत्र' के तहत डाउनलोड किए जा सकते हैं। संसद सदस्य अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करने के लिए संसद सदस्य सुविधा अनुभाग, कमरा संख्या 227, संसदीय सौध, दूरभाष संख्या 23034227, 23034059 पर संपर्क कर सकते है।

8.5 **राज्य सभा के सदस्यों के लिए छूट प्राप्त श्रेणी के अंतर्गत फास्टैग**

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा फास्टैग के रूप में राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित टोल प्लाजाओं पर एक कैशलेस भुगतान तंत्र शुरू किया गया है। राज्य सभा के सदस्यों को दो वाहनों (एक नई दिल्ली और एक उनके राज्य में)

के लिए दो फास्टैग छूट प्राप्त श्रेणी में निःशुल्क जारी किए जाते है। संसद सदस्य अतिरिक्त जानकारी के लिए संसद सदस्य सुविधा अनुभाग, कमरा संख्या 227, संसदीय सौध, दूरभाष संख्या 23034227, 23034059 पर संपर्क कर सकते है।

8.6 **वाहन खरीद के लिए अग्रिम**

कोई भी सदस्य चार लाख रुपए से अनधिक या खरीदे जाने वाले वाहन की वास्तविक कीमत, जो भी कम हो, का अग्रिम प्राप्त करने का हकदार है। स्वीकृत अग्रिम धनराशि और उस पर केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर लागू विद्यमान दर से साधारण ब्याज को संबंधित सदस्य के वेतन बिल से 60 बराबर मासिक किस्तों से अनधिक किस्तों में वसूला जायेगा, ये किस्तें उसकी सदस्यता की अवधि के भीतर ही वसूली जाएंगी । वाहन की खरीद के लिए अग्रिम लेते समय सदस्य को प्रपत्र-। में एक करार करना होगा और वाहन खरीदने के पश्चात् प्रपत्र-॥ में बन्धक बांड निष्पादित करना होगा जो कि अग्रिम की प्रतिभूति के रूप में वाहन को केन्द्रीय सरकार को उपप्राधीयित करेगा। अग्रिम से खरीदे गए वाहन का आग, चोरी और दुर्घटना के कारण होने वाली पूर्ण क्षति के लिए प्रपत्र-III के अनुसार बीमा कराना होगा, जिसके द्वारा बीमा कंपनी वाहन को हुई क्षति के संबंध में केन्द्रीय सरकार को हानि या क्षति का भुगतान करने के लिए राजी होगी। सभी प्रपत्र संसद सदस्य वेतन और भत्ता शाखा, (कमरा सं. 228, संसदीय सौध, दूरभाषः 23034224/23034228 में उपलब्ध हैं) और इन्हें राज्य सभा की वेबसाइट (http://rajyasabha.nic.in) पर 'Download'-'Application forms'-'M.S.&A. Branch forms'-'form for claiming advance for purchase of conveyance by the

Members of Rajya Sabha' लिंक के तहत डाउनलोड भी किया जा सकता है।

8.7 निर्वाचन क्षेत्र भत्ता

कोई भी सदस्य 70,000/- रुपये प्रति माह की दर से निर्वाचन क्षेत्र भत्ता पाने का हकदार है।

8.8 कार्यालय व्यय भत्ता

कोई भी सदस्य 60,000/- रुपये प्रतिमाह कार्यालय व्यय भत्ता पाने का हकदार है। इसमें से 20,000/-रुपये लेखन सामग्री और डाक खर्च के लिए तथा 40,000/- रुपये का सदस्य द्वारा लिपिकीय सहायता प्राप्त करने के लिए नियोजित किए गए व्यक्ति (व्यक्तियों) को वेतन के रूप में राज्य सभा सचिवालय द्वारा भुगतान किया जाएगा, जिसके लिए सदस्य को संसद सदस्य वेतन और भत्ता शाखा में उपलब्ध विहित प्रपत्र में सूचना देनी होगी। इस प्रपत्र को राज्य सभा की वेबसाइट (http://rajyasabhahindi.nic.in) पर 'डाउनलोड'-'एम.एस.एंड.ए. अनुभाग से संबंधित प्रपत्र'-'सरकारी व्यय भत्तों को प्राप्त करने के लिए सदस्यों द्वारा नियुक्त किये गए निजी सहायकों संबंधी सूचना प्रपत्र' लिंक के तहत डाउनलोड भी किया जा सकता है। इस प्रकार नियोजित व्यक्ति उस तारीख से ही वेतन का/के हकदार होगा/होंगे जिस दिन ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों के नियोजन की सूचना इस सचिवालय को दी जाएगी।

8.9 **सदस्यों के लिए पेंशन**

8.9.1 प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने अंतरिम संसद के सदस्य के रूप में या संसद के किसी भी सदन के सदस्य के रूप में किसी भी अवधि के लिए सेवा की हो, न्यूनतम 25,000/- रुपये प्रतिमाह की पेंशन देय होगी और जिस सदस्य ने 5 वर्ष से अधिक वर्षों तक की सेवा की है उसे पांच वर्ष से अधिक प्रत्येक वर्ष के लिए 2,000/- रुपये प्रतिमाह की अतिरिक्त पेंशन देय होगी। 2,000/- रुपये प्रतिमाह की अतिरिक्त पेंशन प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ 9 माह से अधिक की अवधि को एक पूर्ण वर्ष माना जाएगा।

8.9.2 किसी दिवंगत सदस्य/पूर्व सदस्य के पति/पत्नी या आश्रित जो कि न तो वर्तमान सदस्य है और न ही एम.एस.ए. अधिनियम, 1954 की धारा 8क के अधीन पेंशन प्राप्त कर रहा/रही है, पति/पत्नी या आश्रित जीवन की शेष अवधि के लिए जब तक कि वह आश्रित बना रहता/रहती है, उस दिवंगत सदस्य/पूर्व सदस्य को अन्यथा स्वीकार्य पेंशन की 50 प्रतिशत राशि के बराबर कुटुम्ब पेंशन पाने का हकदार है।

8.9.3 इस संबंध में संगत प्रपत्र राज्य सभा की वेबसाइट (http://rajyasabhahindi.nic.in) पर 'डाउनलोड'-'आवेदन प्रपत्र'-'एसएसएंडए अनुभाग से संबंधित प्रपत्र' लिंक के तहत डाउनलोड किए जा सकते हैं।

8.10 **भूतपूर्व सदस्यों को निःशुल्क रेल यात्रा सुविधा**

भूतपूर्व संसद सदस्य, यथास्थिति, संसद के किसी भी सदन के सचिवालय द्वारा जारी भूतपूर्व संसद सदस्य पहचान-पत्र के आधार पर भारत में किसी भी रेलगाड़ी में वातानुकूलित टू-टियर श्रेणी में एक सहयात्री के साथ या भारत में किसी भी रेल

द्वारा संचालित किसी भी गाड़ी में वातानुकूलित प्रथम श्रेणी में अकेले बिना कोई भुगतान किए यात्रा करने के हकदार हैं।

8.11 **सदस्यों के लिए आशुलिपिकीय/टंकण (अंग्रेजी और हिन्दी) सहायता**

सदस्यों को उनके संशोधनों, प्रश्नों, संकल्पों, प्रस्तावों की सूचनाएं और सभा की कार्यवाही संबंधी अन्य सम्बद्ध लोक महत्व के मामलों के टंकण में सहायतार्थ अंग्रेजी तथा हिन्दी आशुलिपिकों की सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। यह सहायता राज्य सभा चैंबर के निकट स्थित आशुलिपिक पूल कमरा सं. 34-ए, संसद भवन, (दूरभाषः 23034842, 23012567) में उपलब्ध है। तथापि, राज्य सभा के सत्र के दौरान, इस अवधि में कार्य की अधिकता को ध्यान में रखते हुए सदस्य अपने संसदीय कार्यो हेतु व्यक्तिगत रूप से भी पूल में जा सकते हैं, ताकि उनके कार्य को उपयुक्त प्राथमिकता दी जा सके।

आशुलिपिक पूल के कर्मचारियों को निर्देश दिया गया है कि वे असंसदीय प्रकृति के कार्यो को हाथ में न लें। अतः सदस्यों को आशुलिपिक पूल में संसदीय कार्य ही देना चाहिए एक बार में पांच या छह पृष्ठों से अधिक का डिक्टेशन और/अथवा टंकण कार्य नहीं होना चाहिए।

8.12 **संसद सदस्यों के लिए रिप्रोग्राफिक सेवा**

एक फोटोकॉपियर संसद भवन की बाहरी लॉबी में स्थित कमरा सं. 26-सी में उपलब्ध है (दूरभाषः 23034862)। संसद सदस्यों के लिए भुगतान आधार पर दस्तावेजों की फोटोकॉपी की जाती है।

8.13 **चिकित्सा सुविधाएं**

8.13.1 राज्य सभा के सदस्य और उनके परिवार के पात्र आश्रित सदस्य अंशदायी केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) के अंतर्गत वही चिकित्सा सुविधाएं पाने के हकदार हैं जो केन्द्रीय सिविल सेवाएं श्रेणी-। के अधिकारियों के लिए उपलब्ध होती है और इनके लिए उन्हें 1000/- रु. का मासिक अंशदान देना होता है जो उनके वेतन से काटा जाता है। इस सेवा के लिए सदस्यों और उनके परिवर के पात्र आश्रित सदस्यों को अनुरोध पर पृथक सीजीएचएस कार्ड जारी किए जाते हैं। इस संबंध में आवेदन प्रपत्र एम.ए. अनुभाग और सूचना कार्यालय में उपलब्ध है और इसे राज्य सभा की वेबसाइट (http://rajyasabhahindi.nic.in) पर 'डाउनलोड'- 'नए सदस्यों के लिए प्रपत्र' - 'एम.ए. अनुभाग'- 'केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना कार्ड हेतु प्रपत्र' लिंक के अंतर्गत डाउनलोड किया जा सकता है।

8.13.2 सदस्य सीजीएचएस वेलनेस सेंटर से चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठा सकते है। नॉर्थ एवेन्यू, साउथ एवेन्यू, टेलीग्राफ लेन, पंडारा रोड, और डॉ. जाकिर हुसैन मार्ग पर ऐसे सीजीएचएस वेलनेस सेंटर विद्यमान है जो सदस्यों के आवासीय क्षेत्रों के निकट है। सदस्यों कों चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए संसद भवन में प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र और संसदीय सौध में विभिन्न विभागों में विशेषज्ञ चिकित्सकों और एक्स-रे, ईसीजी, अल्ट्रासाउण्ड और प्रयोगशाला सुविधाओं सहित एक चिकित्सा केंद्र भी कार्यशील है।

8.13.3 सरकारी विशेषज्ञ/सीजीएचएस चिकित्सा अधिकारी द्वारा किसी विशिष्ट सूचीबद्ध उपचार प्रक्रिया/जांच की सलाह

दिये जाने पर, सीजीएचएस में शामिल राज्य सभा के सदस्य और उनके परिवार के आश्रित सदस्य राज्य सभा सचिवालय से किसी अनुमति पत्र के बगैर पर सीजीएचएस के अंतर्गत पैनलबद्ध निजी अस्पतालों और नैदानिक केन्द्रों से आवश्यक चिकित्सा जांच और उपचार सुविधाएं क्रेडिट आधार पर ले सकते हैं। गैर-सूचीबद्ध प्रक्रिया/जांच के लिए सदस्य को चिकित्सा आपातकाल के मामलो को छोड़कर अन्य मामलों में सरकारी विशेषज्ञ/सीजीएचएस चिकित्सा अधिकारी के परामर्श के उपरांत एम. ए. अनुभाग, राज्य सभा सचिवालय से पैनलबद्ध अस्पताल या नैदानिक केन्द्र के नाम से अनुमति पत्र लेना होगा।

8.13.4 सदस्यों को यदि आपात स्थिति में किसी गैर-पैनलबद्ध अस्पताल/नैदानिक केन्द्र से उपचार कराना पड़े तो वे नियमों के अधीन यथा ग्राह्य, राज्य सभा सचिवालय की एम.एस. एंड ए. शाखा से प्रतिपूर्ति का दावा भी कर सकते हैं। इस प्रयोजनार्थ प्रपत्र को राज्य सभा की वेबसाइट (http://rajyasabhahindi.nic.in) पर 'डाउनलोड'- 'आवेदन प्रपत्र' - ' एम.एस. एंड ए. शाखा से संबंधित प्रपत्र'- 'चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति का दावा करने के लिए प्रपत्र' लिंक के अंतर्गत डाउनलोड किया जा सकता है।

8.13.5 निजी पैनलबद्ध अस्पतालों और नैदानिक केन्द्रों की सूची के साथ-साथ विशिष्ट चिकित्सा जांच और उपचार की दरें सीजीएचएस की वेबसाइट http://cghs.gov.in पर 'पैनलबद्ध अस्पताल, नैदानिक केन्द्र एवं दरें' लिंक के अंतर्गत उपलब्ध हैं।

8.13.6 किसी अतिरिक्त जानकारी और सहायता के लिए राज्य सभा सदस्य दूरभाषः 23034227/ 23034059 पर एम. ए. अनुभाग

से और दूरभाषः 23034228/ 23034224 पर एम.एस. एंड ए. शाखा से संपर्क कर सकते हैं।

8.14 **यात्रा सुविधाएं**

8.14.1 कोई भी सदस्य सभा के सत्र या समिति की बैठक में भाग लेने या सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों से संबंधित कोई अन्य कार्य करने के प्रयोजन से अपने प्रायिक निवास स्थान से की जाने वाली यात्रा और ऐसे स्थान से अपने प्रायिक निवास स्थान तक वापसी यात्रा के लिए निम्नानुसार यात्रा भत्ता प्राप्त करने का हकदार हैः-

(क) यदि हवाई यात्रा की जाती है, तो ऐसी प्रत्येक यात्रा के लिए एक हवाई यात्रा के किराये की धनराशि के समान धनराशि;

(ख) यदि यात्रा या उसका कोई भाग रेल अथवा विमान द्वारा नहीं किया जा सकता है तो -

(i) जहां कोई यात्रा या उसका कोई भाग स्टीमर द्वारा सम्पन्न किया जाता है तो स्टीमर के उच्चतम श्रेणी के एक बार के किराये (आहार रहित) के समान धनराशि;

(ii) जहां कोई यात्रा या उसका कोई भाग सड़क मार्ग द्वारा सम्पन्न किया जाता है तो ऐसी प्रत्येक यात्रा या उसके भाग के लिए 16 रुपये प्रति कि.मी. की दर से सड़क मील भत्ता।

8.14.2 जो सदस्य दिल्ली से 300 कि.मी. की दूरी के भीतर रह रहे हैं, वे रेल संपर्क होने के बावजूद सड़क द्वारा की गई यात्रा के लिए सड़क मील भत्ते के हकदार होंगे। इसी तरह, जो सदस्य, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड,

सिक्किम या त्रिपुरा राज्यों में रह रहे हैं, वे रेल सम्पर्क होने के बावजूद अपने प्रायिक निवास स्थान से निकटतम विमानपत्तन तक की गई सड़क यात्राओं के लिए सड़क मील भत्ते के हकदार होंगे।

8.14.3 संसद के किसी सत्र या किसी समिति की बैठक में भाग लेने के लिए यात्रा भत्ते का दावा करने के प्रयोजन के लिए, सदस्यों के लिए सत्र में भाग लेने हेतु सम्मन जारी होने के पश्चात् या किसी समिति की बैठक में भाग लेने के लिए बैठक की सूचना जारी होने के पश्चात् ही यात्रा करना अपेक्षित है।

8.14.4 जब कोई सदस्य, संसद की सभा के सत्र या किसी समिति की बैठक में भाग लेने के प्रयोजन से या सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों से संबंधित किसी अन्य कार्य को पूरा करने के प्रयोजन से अपने प्रायिक निवास स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान से यात्रा करता है/ करती है या ऐसे स्थान पर वापस लौटता है/ लौटती है तो वह या तो वास्तविक रूप से की गई यात्रा के लिए या अपने प्रायिक निवास स्थान से या प्रायिक निवास स्थान तक की यात्रा के लिए, जो भी कम हो, यात्रा भत्ता प्राप्त कर सकता है/ सकती है।

8.14.5 कोई सदस्य लघुतम मार्ग से संसक्त उड़ान उपलब्ध न होने पर उसी दिन अपने गंतव्य पर पहुंचने के लिए असुविधा से बचने हेतु किसी अन्य मार्ग से यात्रा करने का हकदार है बशर्ते कि राज्य सभा के सभापति की अनुमति प्राप्त हो।

8.14.6 संसद सदस्य की पत्नी या पति सदस्य के प्रायिक निवास-स्थान से दिल्ली और वापसी की जितनी बार भी वह चाहे, किसी भी रेलगाड़ी में प्रथम श्रेणी वातानुकूलित अथवा एक्जीक्यूटिव श्रेणी में यात्रा कर सकती/सकते हैं।

8.14.7 संसद सदस्य की पत्नी या पति संसद सत्र के दौरान, सदस्य के प्रायिक निवास स्थान से दिल्ली और वापसी की विमान

से यात्रा कर सकती/सकते हैं परंतु इस शर्त के अध्यधीन कि ऐसी यात्राओं की कुल संख्या वर्ष में आठ से अधिक नहीं होगी।

8.14.8 दिल्ली से 300 कि.मी. की दूरी के भीतर सदस्य के साथ रह रहे सदस्य की पत्नी या पति भी रेल संपर्क होने के बावजूद सड़क द्वारा की गई उक्त यात्राओं के लिए सड़क मील भत्ते के हकदार होंगे। इसी तरह जिस सदस्य की पत्नी या पति अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम या त्रिपुरा राज्यों में रह रहे हैं, वे रेल सम्पर्क होने के बावजूद अपने प्रायिक निवास स्थान से निकटतम विमानपत्तन तक सड़क द्वारा की गई उक्त यात्राओं के लिए सड़क मील भत्ते के हकदार होंगे।

8.14.9 प्रत्येक सदस्य स्वयं के लिए या पति/पत्नी के साथ या कितने भी साथियों या संबंधियों के साथ एक वर्ष में भारत के किसी भी स्थान से भारत में किसी अन्य स्थान तक के लिए 34 निःशुल्क एकल विमान यात्राओं का हकदार है। इन 34 निःशुल्क विमान यात्राओं में से सदस्य की पत्नी/पति या साथी उसके पास आने के लिए अकेले एक वर्ष में अधिकतम 8 विमान यात्राओं के लिए ही हकदार होंगे। तथापि, जहां कोई सदस्य एक वर्ष में विमान द्वारा 34 से कम यात्रा करता है, तो उसके द्वारा न की गई शेष यात्राएं आगामी वर्ष की जाने वाली यात्राओं में जोड़ दी जाएंगी। (*कृपया विस्तृत जानकारी के लिए संसद सदस्य वेतन और भत्ता शाखा से संपर्क करें*)। किसी वर्ष विशेष में 34 से अधिक की गई हवाई यात्राओं, जिनकी अधिकतम सीमा 8 होगी, का समायोजन आगामी वर्ष के लिए उपलब्ध 34 हवाई यात्राओं में से किया जा सकेगा।

8.14.10 यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता का दावा करने के प्रयोजनार्थ सदस्य विहित प्रपत्र पर (आगमन/प्रस्थान प्रतिवेदन/मध्यवर्ती यात्रा प्रपत्र) अपनी यात्रा का समस्त ब्यौरा देंगे और प्रयुक्त हवाई यात्रा

टिकटों को मूल रूप में तथा ई-टिकट के मामले में, सदस्य द्वारा विधिवत् प्रतिहस्ताक्षरित इलेक्ट्रॉनिक टिकट तथा बोर्डिंग पास संसद सदस्य वेतन और भत्ता शाखा को प्रस्तुत करेंगे।

8.14.11 जिन मामलों में, हवाई यात्रा टिकट खो जाती है, वहां सदस्य को संबंधित एयरलाइन्स से हवाई यात्रा किए जाने का एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।

8.14.12 यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता का दावा करने के लिए प्रपत्र संसद सदस्य वेतन और भत्ता शाखा (कमरा सं. 228, संसदीय सौध, दूरभाष सं.: 23034224/23034228) और सूचना कार्यालय (कमरा सं. 26, संसद भवन, दूरभाष सं.: 23034616) में उपलब्ध हैं। यह प्रपत्र राज्य सभा की वेबसाइट (http://rajyasabhahindi.nic.in) पर 'डाउनलोड'- 'आवेदन प्रपत्र'- 'एम.एस. एंड ए. अनुभाग से संबंधित प्रपत्र'- 'यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का दावा करने के लिए प्रपत्र' लिंक के अंतर्गत भी डाउनलोड किया जा सकता है।

8.15 **रेल पास**

8.15.1 प्रत्येक सदस्य को एक पहचान पत्र प्रदान किया जाता है जिससे वह और उसकी पत्नी/पति भारत में किसी भी रेलवे द्वारा किसी भी समय वातानुकूलित प्रथम श्रेणी अथवा एक्जीक्यूटिव श्रेणी में, ए.सी. टू टियर में एक सहचर के साथ यात्रा करने का हकदार होता है/होती है। ऐसा पास उसके कार्यकाल के लिए वैध है। उसके कार्यकाल की समाप्ति पर, यह पास राज्य सभा सचिवालय के सुपुर्द किया जाना अपेक्षित है।

8.15.2 सदस्य की पत्नी/पति की रेल द्वारा सदस्य के प्रायिक निवास स्थान से दिल्ली और वापसी की यात्रा के लिए सदस्य के अनुरोध पर एक पृथक् प्रथम श्रेणी वातानुकूलित या एक्जीक्यूटिव

श्रेणी का अहस्तांतरणीय रेल पास सदस्य को जारी किया जाता है। इस संबंध में प्रपत्र राज्य सभा की वेबसाइट (http://rajyasabhahindi.nic.in) पर 'डाउनलोड'- 'नए सदस्यों के लिए प्रपत्र' - ' एम.एस. एंड ए. अनुभाग से संबंधित प्रपत्र'- 'सदस्य की पत्नी/पति के उपयोग हेतु अहस्तांतरणीय प्रथम श्रेणी रेल पास जारी करने के लिए आवेदन पत्र' लिंक के अंतर्गत डाउनलोड किया जा सकता है। पत्नी/पति का रेल पास सदस्यता समाप्त होने पर राज्य सभा सचिवालय को वापस किया जाना अपेक्षित है। (*कृपया ब्यौरे के लिए संसद सदस्य वेतन और भत्ता शाखा से सम्पर्क करें।*)

9. **पहचान पत्र/रेल पास खो जाना**

सदस्य का पहचान पत्र-सह-रेल पास या उनकी पत्नी/उनके पति के रेल पास खो जाने पर उसकी सूचना तत्काल राज्य सभा के सभापति और नजदीकी थाने में दी जानी चाहिए। नया पहचान पत्र जारी किए जाने हेतु सदस्य को पुलिस में दर्ज करायी गई गुमशुदगी रिपोर्ट की प्रति संलग्न करते हुए सचिवालय में आवेदन करना होगा। आवेदन प्रपत्र को राज्य सभा की वेबसाइट (http://rajyasabhahindi.nic.in) पर 'डाउनलोड'- 'नए सदस्यों के लिए प्रपत्र' - ' एम.एस. एंड ए. अनुभाग से संबंधित प्रपत्र'- 'राज्य सभा के वर्तमान सदस्यों के लिए नए पहचान पत्र हेतु प्रपत्र' लिंक के अंतर्गत डाउनलोड किया जा सकता है।

10. **रेलवे आरक्षण**

10.1 सदस्यों की सुविधा के लिए एक रेलवे बुकिंग और आरक्षण कार्यालय (दूरभाषः 23034741/23017369) सप्ताह में प्रतिदिन (शनिवार और रविवार सहित) कमरा सं. 131, तीसरी मंजिल,

संसद भवन में म. पू. 10.00 बजे से म. प. 5.00 बजे तक कार्य करता है।

10.2 सदस्यों के दौरे/यात्राओं के लिए एयरलाइंस की टिकट बुकिंग सुविधा प्रदान करने के लिए संसदीय सौध में वीआईपी गेट के पास बेसमेंट में सभी कार्य दिवसों (शनिवार और रविवार को छोड़कर) म. पू. 10.00 बजे से म. प. 6.00 बजे तक आईआरसीटीसी का एक एयर बुकिंग काउंटर भी कार्य करता है। किसी भी पूछताछ/सहायता के लिए आईआरसीटीसी काउंटर से 8287930220/8287930215 पर संपर्क किया जा सकता है।

11. संसद सदस्यों तथा उनके पति/उनकी पत्नी को राजनयिक पारपत्र

11.1 संसद सदस्य तथा उनकी पत्नी/उनके पति राजनयिक पारपत्र के हकदार हैं जो कि सीपीवी प्रभाग, विदेश मंत्रालय, पटियाला हाउस, नई दिल्ली से जारी किये जाते हैं। विदेश मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संशोधित अनुदेशों के अनुसार, जो सदस्य तथा उनकी पत्नी/उनके पति राजनयिक पारपत्र प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें विदेश मंत्रालय की वेबसाइट www.passportindia.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा और तत्पश्चात् उसके प्रिंटआउट को आवेदक द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षर किए जाने के पश्चात् सम्मेलन और नयाचार अनुभाग (कमरा सं. 527, संसदीय सौध, दूरभाषः 23034527) अथवा सूचना कार्यालय को सफेद पृष्ठभूमि में अपनी हाल की रंगीन फोटो (4.5 x 3.5 सेमी आकार की) की दो प्रतियां भेजनी होंगी।

11.2 सदस्य या उनकी पत्नी/उनके पति जिन्हें कोई अन्य पासपोर्ट उनके नाम पर जारी किया गया है, वे उसे भी अपने

आवेदन प्रपत्र के साथ संलग्न करें ताकि उसे सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जा सके।

12. **संसद सदस्यों अथवा उनकी पत्नी/उनके पति द्वारा राजनयिक पारपत्रों का उपयोग**

इस संबंध में विदेश मंत्रालय के दिनांक 21 जनवरी, 2010 के पत्र सं. VII/403/1/2010 में जारी किये गये दिशा निर्देशों को सदस्यों के सूचनार्थ नीचे प्रस्तुत किया गया है:-

"माननीय संसद सदस्यों अथवा उनकी पत्नी/उनके पति द्वारा गैर-सरकारी अथवा गैर-संसदीय कार्य, उदाहरणस्वरूप अवकाश के लिए, अथवा वकील, चिकित्सक, व्यवसायी अथवा वास्तुकार के रूप में व्यावसायिक कार्य, इत्यादि के लिए उपयोग किए जा रहे राजनयिक पारपत्रों का प्रश्न उठाया गया है।

राजनयिक पारपत्र उन व्यक्तियों को, जो राजनयिक हैसियत रखते हैं और जिन्हें राजनयिक कार्यों के लिए विदेश भेजा जाता है अथवा उन व्यक्तियों को, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित कतिपय पदों पर आसीन होते हैं, जारी किए जाते हैं। राजनयिक पारपत्र ऐसे व्यक्तियों की पत्नी/पति को उनके साथ विदेश यात्राओं पर जाने के लिए जारी किए जाते हैं। यद्यपि राजनयिक पारपत्रों का उपयोग निजी दौरे [पर्यटन अथवा मित्रों/सगे-संबंधियों से मिलने के लिए] किया जा सकता है, फिर भी ये निजी व्यवसाय हेतु विदेश यात्रा किए जाने के लिए नहीं होते हैं।

विदेशी मिशनों को संबोधित वीजा नोट जारी करते समय, दौरे का प्रयोजन, अर्थात् सरकारी अथवा निजी, निर्दिष्ट किया जाता है। तथापि, इस मंत्रालय के वीजा नोट पर ध्यान दिए बिना,

आवेदक के वीजा को मंजूर अथवा नामंजूर करना विदेशी मिशनों का विशेषाधिकार होता है।"

13. सदस्यों/उनकी पत्नी/उनके पति की निजी विदेश यात्रा के लिए वीज़ा नोट जारी किया जाना

13.1 सदस्यों और उनकी पत्नी/पति द्वारा ऐसे देशों की निजी यात्रा [पर्यटन या मित्रों/रिश्तेदारों से मिलने के लिए] करने के लिए जिनके लिए वीज़ा की आवश्यकता होती है, संबंधित सदस्यों से विशिष्ट अनुरोध प्राप्त होने पर विदेश मंत्रालय, पटियाला हाउस, नई दिल्ली द्वारा वीज़ा नोट जारी किये जाते हैं।

13.2 जो सदस्य निजी यात्रा के लिए वीज़ा नोट जारी कराना चाहते हों, वे विदेश मंत्रालय से वीज़ा नोट प्राप्त करने के लिए अपनी मांग (राज्य सभा के महासचिव के नाम से) अपने राजनयिक पारपत्रों की प्रति और वीज़ा नोट प्राप्त करने के लिए विदेश मंत्रालय की उपयुक्त राजनैतिक स्वीकृति सहित, सम्मेलन और नयाचार अनुभाग को भेज सकते हैं। राजनैतिक स्वीकृति https://www.epolclearance.gov.in/ पर आवेदन कर सकते हैं।

13.3 सदस्यों और उनकी पत्नी/उनके पति के राजनयिक पारपत्रों पर वीज़ा पृष्ठांकन सदस्यों द्वारा स्वयं संबंधित विदेशी दूतावास/उच्चायोग से करवाया जाएगा।

13.4 उक्त बातें सदस्यों द्वारा उनकी विशेषज्ञता और किसी क्षेत्र के ज्ञान के कारण सम्मेलनों, सेमिनारों आदि में उनकी व्यक्तिगत हैसियत से विदेशी आतिथ्य सहित या उसके बिना भागीदारी करने के लिए विदेश यात्रा करने पर भी लागू होंगी।

14. **विदेश यात्रा करने वाले सदस्य**

14.1 सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि उन्हें अपनी विदेश यात्रा की सूचना ऐसी यात्रा का उद्देश्य बताते हुए कम से कम 3 सप्ताह पहले महासचिव को भेज देनी चाहिए ताकि विदेश मंत्रालय और संबंधित भारतीय मिशन/दूतावास को उसकी सूचना दी जा सके। सदस्यों से यह भी अनुरोध किया जाता है कि वे अपने यात्रा कार्यक्रमों को जैसे ही वे निश्चित हो जाते हैं, वैसे ही सचिवालय के सम्मेलन और नयाचार अनुभाग के प्रभारी, संयुक्त सचिव को फैक्स सं. 23094287 पर या इस सचिवालय के सम्मेलन और नयाचार अनुभाग को फैक्स सं. 23017548 पर फैक्स कर दें या rscp@sansad.nic.in पर ई-मेल करें।

14.2 विदेश मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 11 सितम्बर, 2006 और 3 अक्तूबर, 2016 के कार्यालय ज्ञापन सं एए/122/43/2006 के अनुसार, भारतीय मिशन/पोस्ट पदाधिकारियों/अधिकारियों के निजी दौरों पर होने वाले खर्च का वहन करने के लिए प्राधिकृत नहीं हैं। तथापि, सदस्य से कोई अनुरोध प्राप्त होने पर, विदेश मंत्रालय और संबंधित दूतावास/पोस्ट से सदस्यों द्वारा निजी विदेश दौरों पर संभव और अनुमत सीमा तक आगमन/प्रस्थान संबंधी नयाचार और सहायता मुहैया कराने का अनुरोध किया जाएगा।

14.3 उक्त बातें सदस्यों द्वारा उनकी विशेषज्ञता और किसी क्षेत्र के ज्ञान के कारण सम्मेलनों, सेमिनारों आदि में उनकी व्यक्तिगत हैसियत से विदेशी आतिथ्य सहित या उसके बिना भागीदारी करने के लिए विदेश यात्रा करने पर भी लागू होंगी।

15. संसद सदस्यों द्वारा विदेशी आतिथ्य स्वीकार किया जाना

15.1 सदस्यों को विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 की धारा 6 के अधीन अपनी व्यक्तिगत हैसियत से अपनी निजी विदेश यात्राओं के दौरान कोई विदेशी आतिथ्य स्वीकार करने के लिए केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति लेना अपेक्षित होता है।

15.2 सरकार ने दिनांक 14.12.2015 की अधिसूचना (प्रतिलिपि एफसीआरए के वेबपोर्टल पर उपलब्ध) के माध्यम से विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 के अधीन सेवाओं को केवल ऑनलाइन पोर्टल www.feraonline.nic.in के माध्यम से ही प्रदान किया जाना अधिदेशित किया है। तदनुसार, सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे अपने आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही प्रस्तुत करें।

15.3 किसी प्रकार के विलम्ब से बचने के लिए, सदस्यों को यह सलाह दी जाती है कि विदेशी आतिथ्य स्वीकार करने के संबंध में उनके प्रार्थना पत्र गृह मंत्रालय में उस तारीख से कम से कम दो सप्ताह पहले पहुंच जाने चाहिए जिस तारीख से यात्रा प्रस्तावित है।

15.4 आतिथ्य स्वीकार करने से पहले सदस्यों को निमंत्रण भेजने वाले संगठन/संस्थान की प्रमाणिकता की स्वयं जांच कर लेनी चाहिए।

16. विदेश मंत्रालय से राजनैतिक स्वीकृति

16.1 किसी विदेशी स्रोत अर्थात किसी देश की सरकार या किसी विदेशी संस्था से सभी निमंत्रणों को विदेश मंत्रालय के माध्यम से भेजे जाने की अपेक्षा की जाती है। तथापि, यदि ऐसा कोई निमंत्रण सीधे प्राप्त होता है तो सदस्य के लिए उसकी सूचना विदेश

मंत्रालय में दिया जाना अपेक्षित है और इस प्रयोजनार्थ उस मंत्रालय की आवश्यक राजनीतिक स्वीकृति भी प्राप्त की जानी चाहिए।

16.2 सदस्यों के लिए राजनयिक पारपत्र का प्रयोग करते समय www.epolclearance.gov.in लिंक का प्रयोग करके विदेश मंत्रालय से सीधे राजनीतिक पूर्व-स्वीकृति के लिए आवेदन करना और यह सुनिश्चित करना अपेक्षित है कि विदेश यात्रा पर जाने से पहले अपेक्षित राजनीतिक स्वीकृति ले ली गई है। इसके लिए अनुरोध कम से कम 3 सप्ताह पहले किया जाए।

16.3 विदेश मंत्रालय से समय पर राजनीतिक स्वीकृति की मांग किए जाने से विदेश मंत्रालय निमंत्रण देने वाली विदेशी संस्था के दर्जे, मंच के उचित होने, जनहित आदि पर विचार करते हुए उस सदस्य को सिफारिश कर सकेगा।

16.4 उक्त बात निजी दौरों (पर्यटन, मित्रों/संबंधियों आदि के यहां जाना) पर भी लागू होगी।

16.5 आधिकारिक दौरों के मामले में, विदेश मंत्रालय से राजनीतिक स्वीकृति सदस्य की ओर से राज्य सभा सचिवालय द्वारा मांगी जाएगी।

16.6 कृपया यह सुनिश्चित किया जाए कि सदस्यों द्वारा उनके निजी दौरे के दौरान किए गए किसी भी कार्यकलाप से ऐसा गैर आशयित संकेत नहीं जाए कि सदस्य संसद की ओर से किसी आधिकारिक दौरे पर हैं।

17. **भारतीय संसदीय समूह की सदस्यता**

17.1 भारतीय संसदीय समूह एक स्वायत्त निकाय है जिसे 16 अगस्त, 1948 को संविधान सभा (विधायी) द्वारा अपनाये गए एक प्रस्ताव के अनुपालन में वर्ष 1949 में गठित किया गया था। भारतीय

संसदीय समूह की सदस्यता संसद (लोक सभा और राज्य सभा) के सभी सदस्यों और संसद के भूतपूर्व सदस्यों के लिए खुली है। राज्य सभा के ऐसे सभी सदस्यों जो अब तक इस समूह के सदस्य नहीं बने हैं, से इस समूह में शामिल होने का अनुरोध किया जाता है।

17.2 इस समूह की आजीवन सदस्यता सम्मेलन और नयाचार अनुभाग (कमरा सं. 527, संसदीय सौध, दूरभाष सं. 23034527) तथा संसद भवन में सूचना कार्यालय में उपलब्ध विहित प्रपत्र में 500/- रुपये का भुगतान करने पर प्राप्त की जा सकती है। अपेक्षित शुल्क के साथ विधिवत रूप से भरा गया प्रपत्र सम्मेलन शाखा, लोक सभा सचिवालय, कमरा सं. 340, संसदीय सौध में जमा कराया जा सकता है।

18. लॉकर

सदस्यों की सुविधा के लिए राज्य सभा कक्ष की बाह्य लॉबी में उन्हें लॉकर उपलब्ध कराए गए हैं, जहां सदस्य अपने संसदीय पत्रादि रख सकते हैं। लॉकर्स उपलब्ध होने पर, 'पहले आइए-पहले पाइए' आधार पर आवंटित किए जाएंगे (कृपया लॉबी कार्यालय से दूरभाषः 23034729 और 23035343 पर संपर्क करें)।

19. राज्य सभा की कार्यवाही की डिजिटल वीडियो डिस्क (डीवीडी) की उपलब्धता

राज्य सभा की कार्यवाहियों की डिजिटल वीडियो डिस्क (डीवीडी) की प्रतियां 75/- रुपये प्रति डीवीडी के भुगतान पर सदस्यों के लिए उपलब्ध हैं। डीवीडी में लगभग 180 मिनट की राज्य सभा की कार्यवाही है तथा उसमें नाम, विषय आदि के उप-शीर्षक दिए गए हैं। सभा में अपना प्रथम भाषण देने वाले सदस्यों को उनके प्रथम भाषण वाली एक मानार्थ डीवीडी भेंट की जाती है। (कृपया

लॉबी कार्यालय से दूरभाष सं. 23034729 और 23035343 पर संपर्क करें)।

20. पत्रों और प्रकाशनों की आपूर्ति

20.1 सदस्यों के लिए आशयित सभी संसदीय पत्रों का वितरण उनके निवास स्थान पर किया जाता है ताकि वे उनको उसी दिन मिल सकें (वितरण शाखा, दूरभाषः 23034598 और 23034461)।

20.2 भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से वितरण हेतु प्राप्त हुए प्रकाशनों को संसद सदस्यों को प्रकाशन पटल, कमरा सं. 26-ए, संसद भवन, नई दिल्ली (दूरभाषः 23034648) से उपलब्ध कराया जाता है।

21. विविध सुविधाएं

21.1 खानपान सुविधाएं

सदस्यों के लिए संसद भवन, संसदीय सौध और संसद ग्रन्थालय भवन में जलपान और लंच की सुविधाएं उपलब्ध हैं। संसद सदस्यों को लिए नॉर्थ एवेन्यू और साउथ एवेन्यू में भी पौष्टिक भारतीय भोजन उपलब्ध कराने के लिए कैंटीनें विद्यमान हैं। वेस्टर्न कोर्ट हॉस्टल में भी खानपान की व्यवस्थाएं विद्यमान हैं।

21.2 क्लब और कॉमन हॉल

नॉर्थ एवेन्यू और साउथ एवेन्यू में सदस्यों के विश्राम और मनोरंजन के लिए कॉमन हाल उपलब्ध कराए गए हैं। रफी मार्ग पर कॉन्स्टीट्यूशन क्लब भी है जिसकी सदस्यता सभी सदस्य वार्षिक रूप से 1,000 रुपये और आजीवन सदस्यता के लिए 5,000 रुपये के विहित अभिदान शुल्क की अदायगी करके ले सकते हैं।

21.3 बैंक और डाकघर

21.3.1 **भारतीय स्टेट बैंक**-भारतीय स्टेट बैंक की शाखाएं कमरा संख्या 57, पहली मंजिल, संसद भवन (दूरभाष सं 23016053/23011364/23034653) और संसदीय सौध के भूतल (दूरभाष सं 23034477/23034241) पर सभी कार्यदिवसों (द्वितीय एवं चतुर्थ शनिवारों एवं सभी रविवारों को छोड़कर) पर म.पू. 10.00 बजे से म.प. 4.00 बजे तक (सार्वजनिक काम काज) कार्य करती है।

21.3.2 सदस्यों की सुविधा के लिए संसद सत्रावधि के दौरान संसद भवन, संसदीय सौध में स्थित भारतीय स्टेट बैंक की शाखाओं की कार्यवधि म.प. 6:00 बजे तक बढ़ा दी जाती है।

21.3.3 **भारतीय डाक**-संसद सदस्यों को सुविधा के लिए संसद भवन के भूतल पर लिफ्ट सं. 5 के समीप एक डाकघर (दूरभाष 23017346) सोमवार से शुक्रवार तक म.पू. 10.00 बजे से म.प. 4 बजे तक (सार्वजनिक कामकाज) और शनिवार को म.पू. 10.00 बजे से म.प. 01.00 बजे तक पूरे वर्ष कार्य करता है

2.1.3.4 संसंदीय सौध के बेसमेंट में सोमवार से शुक्रवार तक म.पू. 9.30 से म.प. 4.00 बजे तक (सार्वजनिक कामकाज का समय) एवं शानिवार को म.पू. 9.30 से म.प. 01.00 बजे तक एक उप-डाकघर (दूरभाष 23014121) भी पूरे वर्ष कार्य करता है।

21.4 राज्य सभा के सदस्यों के लिए परिवहन सेवा

राज्य सभा के सदस्यों के लिए विशेष तौर पर संयुक्त परिवहन डेस्क कार्यरत है। राज्य सभा सचिवालय के आठ (8) वाहन दस रुपए प्रति दौरे के लिए अदायगी करने पर राज्य सभा के सदस्यों को उनके निवास स्थान से संसद भवन/संसदीय सौध तथा

संसद भवन/संसदीय सौध से उनके निवास स्थान तक छोड़े जाने की सुविधा प्रदान करते हैं। इन परिवहन सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए सदस्य परिवहन डेस्क, राज्य सभा को दूरभाष सं. 23035139 और 23035183 पर कॉल कर सकते हैं।

21.5 **आयकर विवरणी दाखिल करना**

सत्रावधि के दौरान आयकर विभाग के एक अधिकारी की तैनाती सभागार के समीप स्थित काउंटर, भूतल, एस.बी.आई. के सामने, संसदीय सौध, नई दिल्ली (दूरभाषः 23034062) पर की जाती है ताकि वह सदस्यों की आयकर विवरणियों को भरने संबंधी समस्याओं तथा अन्य मामलों का समाधान कर सके।

21.6 **नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् का संपर्क कार्यालय**

सदस्यों की सुविधा के लिए उनके आवासों में बिजली, पानी के कनेक्शन देने/कनेक्शन काटने और उनके बिल तैयार करने तथा तत्संबंधी मामलों में उनकी सहायता करने के लिए संसदीय सौध, नई दिल्ली के कमरा सं. 314 (दूरभाष सं. 23034314, 23034316) में पूरे वर्ष नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् का सम्पर्क कार्यालय कार्य करता है।

21.7 **डी.ओ. लेखन सामग्री की आपूर्ति**

सदस्यों को मानकीकृत डी. ओ. लेखन सामग्री की बिक्री 'बिना लाभ-बिना हानि' के आधार पर विक्रय पटल पर, प्रकाशन पटल के निकट कमरा सं. 26-ए, संसद भवन, नई दिल्ली (दूरभाष सं. 23034648) में की जाती है।

21.8 **कार पार्क लेबल**

संसद भवन परिसर में सदस्य अपने वाहन निर्बाध रूप से ला सकें, इसके लिए प्रत्येक वर्ष क्रमशः सूचना कार्यालय और सीपीआईसी द्वारा, अनुमोदित दिशा-निर्देशों के अनुसार वहां उपलब्ध विहित प्रपत्र में आवेदन किए जाने पर एक कैलेंडर वर्ष की वैधता वाले कार पार्क लेबल और आर.एफ. टैग जारी किए जाते हैं। कार पार्क लेबल के लिए प्रपत्र राज्य सभा की वेबसाइट (http://rajyasabhahindi.nic.in) पर 'डाउनलोड-'आवेदन प्रपत्र'-'नोटिस ऑफिस से संबंधित प्रपत्र'- कार पार्क लेबल (केवल वर्तमान संसद सदस्यों के लिए) हेतु आवेदन पत्र' लिंक के अन्तर्गत भी डाउनलोड किया जा सकता है।

21.9 **सूचना प्रौद्योगिकी (आई टी) सुविधाएं**

21.9.1 राज्य सभा की सूचना और संचार प्रौद्योगिकी प्रबंधन समिति राज्य सभा के कामकाज में सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के संबंध में मानदंड निर्धारित करने; सदस्यों को समय-समय पर उपलब्ध कराए जाने वाले कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर के प्रावधान हेतु मापदंड निर्धारित करने; राज्य सभा में सूचना-प्रसार के इलेक्ट्रॉनिक साधनों के प्रयोग में वृद्धि सुनिश्चित करने; और सदस्यों को सूचना-प्रौद्योगिकी के उपकरणों के प्रयोग में दक्षता हासिल करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु प्रशिक्षण देने सहित समुचित उपाय करने के लिए कार्य करती है।

21.9.2 सदस्यों को अपने कार्यों/कर्तव्यों का प्रभावी रूप से निर्वहन करने में सहायता पहुंचाने हेतु "कम्प्यूटर उपस्कर के लिए राज्य सभा के सदस्यों की वित्तीय हकदारी योजना" के जरिए, कम्प्यूटर उपस्कर की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इस योजना

के अनुसार, सदस्य कम्प्यूटर उपस्कर की निम्नलिखित मदो में से में से कोई भी अथवा सभी खरीद सकते हैं:-

(1)	डेस्कटॉप कम्प्यूटर
(2)	लैपटॉप कम्प्यूटर
(3)	पेन ड्राइव
(4)	प्रिंटर (डेस्कजेट/लेज़रजेट/ मल्टी- फंक्शन/पोर्टेबल)
(5)	स्कैनर
(6)	यूपीएस (केवल डेस्कटॉप के साथ ही)
(7)	हैंडहेल्ड कम्युनिकेटर/कम्प्यूटर/स्मार्ट फोन
(8)	डेटा इंटरनेट कार्ड
(9)	एम एस ऑफिस सुइट
(10)	लैंग्वेज सॉफ्टवेयर्स और स्पीच रेकग्निशन सॉफ्टवेयर्स
(11) (12)	ई-रीडर कम्प्यूटर मॉनिटर
(13)	एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव
(14)	सूचना प्रौद्योगिकी उपस्कर के लिए सहायक उपकरण /आवश्यक एक्सेसरीज (उप साधन)
(i)	एन्टी-वायरस सॉफटवेयर्स
(ii)	स्पीकर्स
(iii)	हेडफोन
(iv)	माइक्रोफोंन
(v)	वेबकैम

(vi)	ब्लूटूथ हेडसेट/ एप्पल एयरपोड्स
(vii)	स्टाइलस(कम्पैटबल)
(viii)	एक्सटर्नल बाह्य कीबोर्ड्स, स्मार्ट कीबोर्ड्स
(ix)	लैपटॉप बैग
(x)	कूलिंग पैड
(xi)	फोन/ई-रीडर कवर
(xii)	टेम्पर्ड ग्लास/स्क्रीन गार्ड
(xiii)	वारंटी एक्सटेंशन पैक्स

(15) समिति के अध्यक्ष के अनुमोदन से कोई अन्य उपकरण।

21.9.3 इस योजना के अधीन कम्प्यूटर उपस्कर और सॉफ्टवेयर खरीदने के लिए किसी सदस्य की मौजूदा वित्तीय हकदारी निम्नानुसार है:-

(क) 2,50,000/- रुपये, यदि राज्य सभा के लिए सदस्य का निर्वाचन/नाम-निर्देशन तीन वर्ष से अधिक के कार्यकाल के लिए हुआ हो।

(ख) 2,00,000/- रुपये, यदि वह आकस्मिक रिक्ति होने पर उप-चुनाव में तीन वर्ष या उसमें कम के कार्यकाल के लिए निर्वाचित/नाम-निर्देशित हुआ हो।

(ग) सदस्य के कार्यकाल के तीन वर्ष पूरा होने पर उन्हें अतिरिक्त 1,50,000/- रुपए की राशि उपलब्ध कराई जाएगी बशर्ते उनके कार्यकाल की शेष अवधि तीन महीने से कम न हो।

21.9.4 सदस्य इस योजना का लाभ किसी विक्रेता से कम्प्यूटर उपस्कर की खरीद करके उठा सकता है और प्रतिपूर्ति के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अनुभाग (हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर) (कमरा सं. 209, संसदीय सौध) को भुगतान का प्रमाण भेज सकते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अनुभाग (हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर) द्वारा प्रमाणित किए जाने पर, संसद सदस्य वेतन और भत्ता शाखा सदस्य को प्रतिपूर्ति करेगी।

21.9.5 वित्तीय हकदारी योजना के अन्तर्गत कंप्यूटर उपस्कर की खरीद के संबंध में सदस्यों द्वारा निम्नलिखित शर्तों को भी ध्यान में रखा जाएः

(क) जैसाकि उपर्युक्त पैरा 21.9.2. में बताया गया है, सदस्य स्वीकार्य कंप्यूटर उपस्कर खरीदने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र हैं और वास्तविक उपस्कर विनिर्माताओं या उनके प्राधिकृत विक्रेताओं से प्रख्यात ब्राण्ड के किसी भी मॉडल की खरीददारी कर सकते है। सदस्य अपनी पसंद के विक्रेता से भी उपकरण की खरीद कर सकते है; तथापि, उस स्थिति में, सदस्य को उत्पादों की वास्तविकता, वारन्टी कवर तथा विक्रय-पश्चात सेवा-सहायता की गुणवत्ता के प्रति स्वयं को संतुष्ट कर लेना चाहिए।

(ख) राज्य सभा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी प्रबंधन समिति के निर्णय के अनुसार, सदस्यों को राज्य सभा में अपनी सदस्यता के अंतिम तीन महीनों के दौरान कंप्यूटर उपस्कर खरीदने और प्रतिपूर्ति हेतु उसका दावा प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं होगी। तदनुसार, सदस्यों से उनके कार्यकाल के अंतिम तीन महीनों के

दौरान कंप्यूटर उपस्कर की खरीद के लिए प्राप्त बिल को स्वीकार नहीं किया जाएगा और यदि ऐसा बिल प्राप्त होता है, तो उसे सदस्य को वापस लौटा दिया जाएगा।

21.9.6 सदस्यों द्वारा अपनी वित्तीय हकदारी का प्रयोग करके खरीदे गए कंप्यूटर उपस्कर से जुड़ी वारन्टी सेवाओं, अनुरक्षण तथा बीमा के लिए व्यवस्था स्वयं करनी होगी। इस योजना के अधीन किसी सदस्य द्वारा खरीदा गया कंप्यूटर उपस्कर उसके सदस्य नहीं रहने के बाद भी उसके पास ही रहेगा।

21.9.7 सदस्य इस योजना तथा इसे शासित करने वाले नियमों के बारे में और अधिक जानकारी सूचना प्रौद्योगिकी अनुभाग (हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर) (कमरा सं. 209, संसदीय सौध) से संपर्क करके अथवा राज्य सभा की वेबसाइट पर 'समितियां → स्थायी समिति → राज्य सभा की सूचना और संचार प्रौद्योगिकी प्रबंधन समिति → नियम' लिंक पर प्राप्त कर सकते हैं।

21.9.8 **ई-मेल सुविधाः** राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन.आई.सी.) द्वारा सदस्यों को ई-मेल सुविधा निःशुल्क प्रदान की जाती है। इस सुविधा का लाभ लेने के लिए सदस्य द्वारा सुविधा हेतु अपेक्षित प्रयोक्ता नाम का उल्लेख करते हुए एक प्रपत्र भरना आवश्यक होता है। यह प्रपत्र सूचना प्रौद्योगिकी अनुभाग (हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर) (कमरा सं. 209, संसदीय सौध) में उपलब्ध है अथवा इसे राज्य सभा की वेबसाइट (http://rajyasabhahindi.nic.in) से 'डाउनलोड → आवेदन प्रपत्र →निकनेट आवेदन पत्र' लिंक के अंतर्गत डाउनलोड किया जा सकता है।

21.9.9 **ब्रॉडबैंड कॉल्स सुविधा**: सदस्य प्रत्येक ब्रॉडबैंड कनैक्शन हेतु 1,50,000 निःशुल्क टेलीफोन कॉल्स में से अपनी 10,000 कॉल्स का परित्याग कर एम.टी.एन.एल./बी.एस.एन.एल. की ब्रॉडबैंड सुविधा का लाभ भी ले सकते हैं।

21.9.10 **मेम्बर्स लॉग-इन पोर्टल (वर्जन** 2.0): मेम्बर्स लॉग-इन पोर्टल सूचना सेवाओं के वितरण और अंतर-संचार प्रणाली हेतु सुरक्षित वेब एप्लीकेशन है, जिसे मोबाइल एसएमएस और एनआईसी की ई-मेल मैसेजिंग सर्विस के साथ जोड़ा गया है। यह एक द्विभाषी पोर्टल है और सदस्यगण इस पोर्टल का प्रयोग करने के लिए अंग्रेजी या हिन्दी भाषा का चयन कर सकते हैं। इसके साथ ही, सदस्यों के लिए सुरक्षित एक्सेस हेतु इस पोर्टल पर लॉग-इन के लिए कैप्चा सहित 'टू-फैक्टर' अधिप्रमाणन (यूजर नेम/पासवर्ड और मोबाईल ओटीपी) जैसे सिक्योरिटी फीचर्स हैं तथा सदस्य के पंजीकृत मोबाइल नं. पर ओटीपी भेजा जाता है।

यह एप्लीकेशन https://mprs.nic.in पर उपलब्ध है अथवा इसका उपयोग 'सदस्य-लॉग इन' पर क्लिक करके राज्य सभा की वेबसाइट (https://rajyasabha.nic.in और https://rajyasabhahindi.nic.in)पर जाकर भी किया जा सकता है।

21.9.11 **ऑनलाइन संदर्भ सेवा के लिए सुविधा**: सदस्यों को सूचित किया जाता है कि राज्य सभा के सदस्यों के लिए ऑनलाइन रिक्विजिशन और संसद ग्रंथालय संदर्भ सुलभता की सुविधा प्रदान की गई है और इसके लिए लिंक राज्य सभा के सदस्य लॉग इन पोर्टल (https://mprs.nic.in) के तहत प्रदान किया गया है। सदस्य एनआईसी द्वारा पहले ही प्रदान किए गए अपने 'क्रिडेंशिएल'

के माध्यम से पोर्टल में लॉग-इन करके इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।

21.9.12 **आधिकारिक ई-मेल पर जियो फेंसिंग सुविधा (देश-वार सुलभता नियंत्रण)**: अन्य देशों में ई-मेल सुलभता के लिए कंट्री पॉलिसी समर्थ बनाने की सुविधा उपलब्ध है और अब राज्य सभा सदस्य विदेशों में यात्रा के दौरान अपनी ई-मेल तक पहुंच का लाभ उठा सकते हैं।

21.9.13 **संसद भवन परिसर में सुरक्षिित हाई-स्पीड वाई-फाई सुविधा**: राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एनआईसी) द्वारा राज्य सभा की आंतरिक/बाह्य लॉबी और चैम्बर सहित संसद भवन परिसर मैं सुरक्षित वाई-फाई सुविधा स्थापित की गई है। सदस्यगण संसद भवन में वाई-फाई सुविधा का लाभ उठाने के लिए अधिकतम तीन पोर्टेबल डिवाइस का पंजीकरण कर सकते हैं। इस प्रयोजनार्थ एक प्रपत्र भरकर कंप्यूटर सेंटर, प्रथम तल, 64 जी, संसद भवन अथवा सूचना प्रौद्योगिकी अनुभाग (एच एंड एस), कमरा सं. 209, संसदीय सौध में जमा करवाना अपेक्षित है। अपेक्षित प्रपत्र सूचना कार्यालय और आन्तरिक लॉबी, राज्य सभा में उपलब्ध है। यह प्रपत्र राज्य सभा की वेबसाइट पर 'डाउनलोड' → 'एप्लीकेशन फार्म'→ 'आईटी अनुभाग (एच एंड एस) फार्म' लिंक के तहत भी उपलब्ध है। सदस्यगण उनके आधिकारिक "संसद" ई-मेल अकाउंट/पंजीकृत मोबाइल नं. पर भेजे जाने वाले यूजर आई डी और पासवर्ड का उपयोग करते हुए वाई-फाई सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं।

21.9.14 **संसद सदस्यों के लिए सूचना प्रौद्योगिकी सहायता केन्द्र (हेल्पडेस्क)**: संसद सदस्यों के लिए संसद सत्र के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित समस्याओं के संबंध में प्रश्नों और शंकाओं का समाधान करने के लिए राज्य सभा चैम्बर की आंतरिक लॉबी में

एक सूचना प्रौद्योगिकी सहायता केन्द्र स्थापित किया गया है जो मध्याह्न 12:00 बजे से मध्याह्न पश्चात 1:00 बजे तक कार्य करेगा। सदस्यों के प्रश्नों का तत्काल समाधान करने के लिए सहायता केन्द्र पर एनआईसी के अधिकारी उपलब्ध रहेंगे।

21.9.15 **ई-नोटिस सुविधा** : राज्य सभा के सदस्यों के लिए सुरक्षित वेब पोर्टल https://rsnotices.nic.in (https://mprs.nic.in द्वारा भी सुलभ) के माध्यम से ऑनलाइन सूचना प्रस्तुत करने की सुविधा उपलब्ध है। इस वेब आधारित सूचना का उपयोग करते हुए सदस्यगण नियमों के अधीन राज्य सभा में विभिन्न मुद्दे उठाने के लिए प्रश्न, शून्य काल प्रस्ताव, विशेष उल्लेख, ध्यानाकर्षण और अल्पावधि चर्चा इत्यादि जैसी विभिन्न युक्तियों के संबंध में ऑनलाइन सूचना प्रस्तुत कर सकते हैं।

21.9.16 **प्रशिक्षण** : सदस्यों और उनके निजी स्टाफ को कम्प्यूटर प्रचालनों में प्रशिक्षित करने तथा उन्हें राज्य सभा की वेबसाइट एवं सूचना-प्रौद्योगिकी संबंधी विभिन्न एप्लीकेशन्स की अद्यतन जानकारी देने के लिए सचिवालय द्वारा एन.आई.सी. के सहयोग से विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

21.9.17 **ई-लर्निंग पाठ्यक्रम** : सदस्यों के लाभार्थ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इन्फर्मेशन टेक्नोलॉजी (एनआईईएलआईटी) के माध्यम से अंग्रेजी व हिंदी में दो ऑनलाइन पाठ्यक्रम तैयार किए गए हैं जिनके नाम हैं, डिजिटल साक्षरता (नौ घंटे) और बुनियादी कम्प्यूटर अवधारणाएं (चौबीस घंटे)। राज्य सभा के सदस्यों के लिए इन दो ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के ई-लर्निंग पोर्टल के लिंक पर सीधे http://econtent.nielit.gov.in/ rs/login/index.php के माध्यम से भी पहुंचा जा सकता है। उपर्युक्त पाठ्यक्रमों की सामग्री तक पहुंचने

के लिए सदस्यों को एक यूजरनेम और पासवर्ड की आवश्यकता होगी जिसे 64-जी, संसद भवन स्थित एनआईसी कम्प्यूटर केन्द्र (दूरभाषः 011-23034829) से प्राप्त किया जा सकता है। सदस्यगण कृपया नोट कर लें कि इन पाठ्यक्रमों की सामग्री केवल "संसद" डोमेन की ई-मेल आईडी से ही प्राप्त की जा सकती है। अतः सदस्यों से अनुरोध है कि वे "संसद" ई-मेल आईडी प्राप्त करने के लिए अपेक्षित प्रपत्र शीघ्रातिशीघ्र भर दें।

21.9.18 **वेबसाइटें** : राज्य सभा की अंग्रेजी और हिन्दी वेबसाइटें (http://rajyasabha.nic.in और http://rajyasabhahindi.nic.in) अनन्य रूप से राज्य सभा के लिए हैं तथा इन तक भारतीय संसद की वेबसाइट (http://parliamentofindia.nic.in) के माध्यम से भी पहुँचा जा सकता है। वर्तमान में, राज्य सभा की वेबसाइटों पर प्रश्नों, विधेयकों, आश्वासनों, वाद-विवादों, समिति संबंधी मामलों आदि सहित सभा एवं इसकी समितियों के कार्यकरण के विभिन्न पहलुओं से संबंधित जानकारी उपलब्ध है। इन पर सर्च सुविधा के साथ सदस्यों के जीवन-वृत्त भी दर्शाए गए हैं और संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना से संबंधित जानकारी भी इन साइटों से प्राप्त की जा सकती है। इसमें से अधिकांश जानकारी ऑनलाइन डेटाबेस पर आधारित है। इस पर उपलब्ध जानकारी, विशेषतया कार्यावलि, सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र, संसदीय समाचार-भाग-1 और भाग-2 आदि से संबंधित जानकारी को प्रतिदिन अद्यतन किया जाता है ताकि सदस्य संसदीय सूचना पहले से ही प्राप्त कर सकें। इसके अलावा, राज्य सभा 'राज्य सभा वाद-विवाद वेबसाइट' (http://rsdebate.nic.in) का भी अनुरक्षण करता है जिसमें राज्य सभा के डिजिटलीकृत वाद-विवाद, सर्च की सुविधा के साथ उपलब्ध हैं। इस वाद-विवाद पोर्टल पर 13 मई, 1952 को आयोजित राज्य सभा की प्रथम बैठक से राज्य सभा के आधिकारिक

वाद-विवाद के सभी मुद्रित खंडों को स्कैन करके उन्हें इलेक्ट्रानिक प्रारूप में उपलब्ध कराया गया है। वाद-विवाद के डिजिटल संग्रह में वाद-विवाद टेक्स्ट (पीडीएफ) फार्मेट और इमेज (पीडीएफ) फार्मेट में उपलब्ध कराया गया है ताकि वाद-विवाद के 'फ्री टेक्स्ट सर्च' की सुविधा प्रदान करने के साथ ही मुद्रित वाद-विवाद के मूल फार्मेट को सुरक्षित रखा जा सके। वाद-विवाद में भाग-। (संसदीय प्रश्न और उत्तर) तथा भाग ॥ (प्रश्न और उत्तर से इतर कार्यवाहियां) शामिल हैं।

21.9.19 **कार्यवाही का सीधा प्रसारण/वेब प्रसारण**: सत्रावधि के दौरान, सदन की कार्यवाही का सीधा वेब प्रसारण किया जाता है जिसे राज्य की वेबसाइट http://rajyasabha.nic.in पर देखा जा सकता है। साथ ही, संसद के सत्रों के दौरान संसद टेलीविजन भी राज्य सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण करता है।